

नामांकन पत्र
(NOMINATION FORM)
चुनाव 2026-2029

मुल्य 100/- (सौ रुपये)

भोपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

प्रति,

श्रीमान् सचिव/निर्वाचन अधिकारी महोदय, भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज
ए-15, सहगल टॉवर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मेन रोड कोहेफिजा, भोपाल म.प्र.

विषय :- पद हेतु नामांकन पत्र।

‘प्रस्तावक’

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पत्नी/पुत्री व्यक्तिगत सदस्य

अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स.....

जो कि भोपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के वर्ष से निरंतर सदस्य हैं का नाम वर्ष..... की प्रबंधक
समिति के पद के लिये प्रस्तावित करता हूँ/करती हूँ।

प्रस्तावक का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी व्यक्तिगत अधिकृत

प्रतिनिधि मेसर्स

सूची क्रमांक सदस्यता क्रमांक.....

मोबाईल नम्बर

नवीनतम कलर फोटो
प्रस्तावक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

अनुमोदक

अनुमोदक का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी व्यक्तिगत

अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स

सूची क्रमांक सदस्यता क्रमांक.....

मोबाईल नम्बर

नवीनतम कलर फोटो
अनुमोदक

अनुमोदक के हस्ताक्षर

‘अभिस्वीकृति उम्मीदवार’

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पत्नी/पुत्री व्यक्तिगत सदस्य

अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स.....

उपरोक्त पद.....

हेतु नामांकन प्रस्तुत करने में अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में)

उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी केपीटल अक्षरों में)

सूची क्रमांक सदस्यता क्रमांक.....

नामांकन मद में जमा की गई राशि का विवरण राशि /-रु रसीद क्रमांक दिनांक

मोबाईल नम्बर

नवीनतम कलर फोटो
प्रत्याशी

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

✕.....✕.....✕.....

भोपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (रसीद)

श्री/श्रीमती/कुमारी जिनकी सदस्यता क्रमांक..... है का

नामांकन फार्म पद हेतु दिनांक..... को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी

नामांकन हेतु दिशा निर्देश:

1. भोपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज जिसमें समिति के निर्वाचित सदस्य 24 होंगे और अध्यक्ष (1), उपाध्यक्ष(4), महामंत्री(1), मंत्री(3), कोषाध्यक्ष(1), सह-कोषाध्यक्ष(1), अतिरिक्त कोषाध्यक्ष(1) इस प्रकार 12 पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। इस प्रकार समिति में कुल सदस्य संख्या 36 रहेगी। इस तरह उपरोक्त पदों का निर्वाचन किया जाना है।
2. प्रबंध समिति की सदस्य अथवा पदाधिकारी पद हेतु पदाभिलाषी के लिये निम्नलिखित योग्यतायें अनिवार्य होंगी।
(1)**अध्यक्ष पद हेतु**— जो सदस्य कंपनी का निरंतर पांच(5) वर्ष से या इससे अधिक समय से सदस्य रहा हो और एक टर्म प्रबंध समिति का सदस्य रह चुका हो, अध्यक्ष पद के लिये चुनाव लड़ सकेगा।
(2)**उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष तथा अतिरिक्त कोषाध्यक्ष पद हेतु**— जो सदस्य कंपनी का निरंतर पांच(5) वर्ष से या इससे अधिक समय से सदस्य रहा हो और एक टर्म प्रबंध समिति का सदस्य रह चुका हो, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष तथा अतिरिक्त कोषाध्यक्ष पद के लिये चुनाव लड़ सकेगा।
(3)**प्रबंध समिति के सदस्य हेतु**—जो सदस्य कंपनी का निरंतर पांच(5) वर्ष सदस्य रहा हो।
3. भोपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के संसोधित अंतर्नियम के भाग 1 के नियम क्र. 23 (5) के सहयोजित सदस्यों को पदाधिकारियों के चुनाव में किसी पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा।
4. प्रबंध समिति के निर्वाचन में उपरोक्त शर्त क्रमांक-2 एवं 3 के अनुरूप ही नामांकन आने पर नामांकन पर विचार किया जावेगा और उपरोक्त शर्तों को पूर्ण नहीं होने पर उसका नामांकन फार्म स्वतः निरस्त हो जावेगा।
5. नामांकन पत्र एवं संलग्न घोषणा पत्र साफ, सुन्दर एवं स्पष्ट अक्षरों में भरें तथा अनावश्यक शब्दों को काट दें।
6. नामांकन फार्म एवं संलग्न घोषणा पत्र में चाही गई जानकारी नियत स्थान पर सही-सही भरे। उम्मीदवार एवं प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर नामांकन फार्म एवं घोषणा पत्र में यथा स्थान पर करें। हस्ताक्षर एवं सही जानकारी के अभाव में नामांकन फार्म निरस्त माना जावेगा।
7. नामांकन फार्म में उम्मीदवार, प्रस्तावक, अनुमोदक द्वारा यथा स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो लगाना अनिवार्य है।
8. नामांकन फार्म के साथ नामांकन शुल्क के रूप में पद अनुसार नगद राशि सचिव/निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के चुनाव कार्यालय-ए-15, सहगल टॉवर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मेन रोड कोहेफिजा, भोपाल म.प्र. में जमा करना अनिवार्य है तथा जिसकी मूल रसीद नामांकन फार्म के साथ संलग्न की जाये। अध्यक्ष पद हेतु 31,000/- (इकतीस हजार), उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष तथा अतिरिक्त कोषाध्यक्ष पद हेतु 21,000/- (इक्कीस हजार), समिति के सदस्य पद हेतु 11,000/- (ग्यारह हजार) रुपये नगद। नामांकन शुल्क के अभाव में नामांकन फार्म निरस्त माना जायेगा।
9. प्रबंध समिति के संविधान अनुसार नामांकन फार्म में जमा की जा रही नामांकन राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।
10. नामांकन हेतु किसी भी पद के लिये एक उम्मीदवार 4 (चार) से अधिक नामांकन फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
11. नामांकन फार्म जमा करते समय स्वयं प्रस्तावक या पदाभिलाषी एवं वापस लेते समय उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। नामांकन जमा करते समय उम्मीदवार एवं उसके प्रस्तावक, अनुमोदक ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।
12. नामांकन फार्म की फोटो प्रति उम्मीदवारी हेतु स्वीकार नहीं की जावेगी।
13. मतदान हेतु भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का वैध परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा, न होने की स्थिति में आधार-कार्ड, पैन-कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस को भी मान्य किया जावेगा।
14. मतपत्र में उम्मीदवार के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के केपीटल अक्षरों के क्रम अनुसार मय फोटो अंकित किये जायेंगे।
15. प्रत्येक प्रत्याशी के नामांकन फार्म प्रत्याशी एवं प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का सदस्यता क्रमांक एवं मतदाता संख्या प्रकाशित अंतिम नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार किया जावे।
16. किसी भी प्रकरण में न्यायालय द्वारा सजायापता व्यक्ति किसी भी पद के निर्वाचन हेतु अयोग्य होगा।
17. मतदान परिसर में 100 मीटर के परिक्षेत्र में उम्मीदवारों द्वारा कोई वाल पेन्टिंग, बेनर, पोस्टर, हैण्डविल अथवा स्वयं का फोटो समर्थन हेतु दीवारों इत्यादि पर न तो चिपकाया जावेगा और न ही उसके समर्थन में किसी अन्य द्वारा ही ऐसा किया जायेगा। तथा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को किसी भी प्रकार से आकर्षित अथवा प्रलोभित नहीं करेगा तथा उम्मीदवारों द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार के संबंध में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगायेंगे।

मुझे स्वीकार हैं

मुझे स्वीकार हैं

मुझे स्वीकार हैं

हस्ताक्षर प्रस्तावक

हस्ताक्षर उम्मीदवार

हस्ताक्षर अनुमोदक

प्रदीप कुमार तिवारी
सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी

घोषणा – पत्र (प्रस्तावक)

चुनाव 2026–2029

प्रति,

श्रीमान् सचिव/निर्वाचन अधिकारी महोदय,
भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज
ए-15, सहगल टॉवर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
मेन रोड कोहेफिजा, भोपाल म.प्र.

महोदय,

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी का नाम पद हेतु प्रस्तावित किया है। जिसमें दी गई जानकारी सत्य व सही है।

- 01 यह कि मेरे द्वारा नामांकन पत्र के साथ सलग्न नामांकन हेतु दिशा-निर्देश एवं आदर्श आचार संहिता एवं भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता का सम्पूर्ण अध्ययन कर लिया गया है।
- 02 यह कि मैं स्वयं एवं मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी द्वारा नामांकन हेतु दिशा-निर्देश एवं आदर्श आचार संहिता तथा भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा अधिरोपित भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा यदि मेरे स्वयं के द्वारा अथवा मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन किये जाने की दशा में प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जाता है तो मुझे अथवा मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी को सचिव/निर्वाचन अधिकारी एवं पर्यवेक्षकगण द्वारा पारित निर्णय स्वीकार्य होगा, और यह घोषणा-पत्र नामांकन फार्म के समर्थन में प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर घोषणा कर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त घोषणा कर्ता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा पत्र के प्रत्येक चरण में लिखित कथन मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। आज दिनांक को भोपाल में सत्यापित किया गया।

हस्ताक्षर सत्यापन कर्ता

घोषणा – पत्र (प्रत्याशी)

चुनाव 2026–2029

प्रति,

श्रीमान् सचिव/निर्वाचन अधिकारी महोदय,
भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज
ए-15, सहगल टॉवर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
मेन रोड कोहेफिजा, भोपाल म.प्र.

महोदय,

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा पद हेतु नामांकन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें दी गई जानकारी सत्य व सही है।

- 01 यह कि मेरे द्वारा नामांकन पत्र के साथ सलग्न नामांकन हेतु दिशा-निर्देश एवं आदर्श आचार संहिता एवं तथा भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा अधिरोपित भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता का सम्पूर्ण अध्ययन कर लिया गया है।
- 02 मेरे द्वारा नामांकन हेतु दिशा-निर्देश एवं आदर्श आचार संहिता तथा भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा अधिरोपित भोपाल चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन किये जाने की दशा में यदि मेरा नामांकन निरस्त किया जाता है तो मुझे सचिव/निर्वाचन अधिकारी एवं पर्यवेक्षकगण द्वारा पारित निर्णय स्वीकार्य होगा, और यह घोषणा-पत्र नामांकन फार्म के समर्थन में प्रस्तुत है।
- 03 मैं घोषणा करता हूँ कि चुनाव के मध्य किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, हो हल्ला, अभद्र व्यवहार नहीं करूंगा और मतदान / मतगणना के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं करूंगा। मतदाता द्वारा गलत नाम से मत देने की स्थिति में, मैं अपनी चुनौती (चैलेंज) पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिस पर उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय के उपरांत मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 04 मेरे एजेंट द्वारा मतदान के समय किसी भी प्रकार का व्यवधान करने की दशा में पर्यवेक्षक को मुझे / मेरे एजेंट को मतदान केंद्र से बाहर करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त घोषणा कर्ता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा पत्र के प्रत्येक चरण में लिखित कथन मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। आज दिनांक को भोपाल में सत्यापित किया गया।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता